Reg. No- 637/15 T.R- 356/19

05. 09. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्तगण 1. रामशंकर साह एवं 2. रविन्द्र राम की ओर से उपस्थिति पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायलय में दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता प्रथम पाली में उपस्थित थे। द्वितीय पाली में साक्षी की हाजिरी दी गई। वाद पुकारा गया पुकार पर कोई उपस्थित नही हुए अभियुक्तगण का बंधपत्र दिनांक 02.09.19 को खंडित किया गया है। प्रार्थी स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पित किया है। प्रार्थी अपने सक्षम जमानदारो द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षो को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन की ओर से एक साक्षी की हाजिरी दी गई थी बार–बार पुकारे जाने पर भी बाचाव पक्ष की ओर से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ जिसके कारण साक्षी का साक्ष्य अंकित नही हो पाया फलतः अभियुक्तगण का बंधपत्र खंडित कर दिया गया। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्तगण की यह प्रथम गलती है। वे अपने सक्षम जमानतदारो के प्रतिभुओ का बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को 200 /– रु0 प्रत्येक के द्वारा जमानत खर्च राशि सरकारी मद मे जमा करने पर जो साक्ष को देय होगा। अतएव इनके सक्षम जमानतदारो द्वारा 5000 ×2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओ द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी

05. 09. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित आवेदक अभियुक्तगण के जमानतदारो द्वारा सत्यापित बंधपत्र एवं नजारत मे जमा किये गये प्रत्येक के द्वारा 200/– रु0 का रशीद दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी